रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

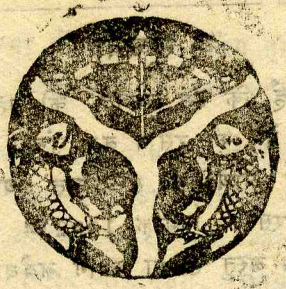

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 13 मार्च, 1999 ई० (फाल्गुन 22, 1920 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज–पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण–पत्र, जन्म–मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार–भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद के तहसील मऊनाथभंजन में कार्यरत संग्रह अमीन श्री चन्द्रजीत यादव की विविध देय की रसीद बुक सं० बी 441701, दिनांक 6 नवम्बर 1988 को एवं श्री बृज भूषण सिंह, सा० संग्रह अमीन कार्यरत तहसील घोसी को विविध देय की रसीद बुक सं० 689401, दिनांक 16 नवम्बर, 1998 को गायब हो गई हैं। उपर्युक्त रसीद बुकों के जो प्रतिपर्ण बिना प्रयोग शुदा हैं, उन्हें अनाधिकृत घोषित किया जाता है, उनका प्रयोग अवैधानिक होगा तथा इस पर किया गया कोई भी भुगतान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त रसीद बुक किसी भी व्यक्ति को मिले तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी को वापस करने का कष्ट करें :

गायब हुई रसीद बुकों का विवरण

नाम अमीन	नाम तहसील	रसीद बुक का प्रकार	रसीद संख्या	प्रयोगशुदा रसीद को संख्या	बिना प्रयोगशुदा दो प्रतियों रसीद की संख्या
श्री चन्द्रजीत यादव	मऊनाथ भजन	विविध देय	बी 441701	बी 441701 से बी 441781 तक	बी 441782 बी 441800
श्री बृज भूषण सिंह	घोसी	विविध देय	689401	689401 से 689440 तक	.689441 से 689500 तक

दिनांक: 20 नवम्बर, 1998 ई०।

एम० एम० लाल,
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद की तहसील बीसलपुर में कार्यरत श्री सालिकराम संग्रह अमीन पुत्र श्री नरायणलाल की विविध देय की रसीद बुक संख्या 189201, जिसमें रसीद क्रमांक 18921 से 189300 बिना प्रयोगशुदा थीं, खोई जिसकी प्राथमिकी सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गई थी। उक्त रसी बुक तो मिल गई है किन्तु बिना प्रयोगशुदा रसीद क्रमांक 189214 से 189300 प्राप्त नहीं हुई हैं। इ रसीदों को अवैधानिक घोषित किया जाता है। अस्तु उनका प्रयोग अवैधानिक होगा एवं इस पर किया गय भुगतान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार्य न होगा। यदि उक्त रसीदें कभी किसी को कहीं भी मिलें तो वह कृपय अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :

खोई हुई रसीदों का विवरण

नाम कार्यालय	जनपद	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही की संख्या	प्रयोग की गयी रसीदों की संख्या	बिना प्रयोग की गयी रसीदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
जिलाधिकारी, पीलीभीत	पीलीभीत	विविध देय	189201	—	189214 से 189300 तक

दिनांक: 1 फरवरी, 1999 ई०

वीरेश्वर सिंह,
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
पीलीभीत।

NOTICE

Notice is hereby given that following resolutions have been passed in the creditors' meeting of the company held on 31st Jan, 1999.

"RESOLVED" that—1. The scheme of creditors, winding up along with the statement of the company's affairs together with the creditors' list and their claims as placed before the creditors' meeting be and are hereby approved. 2. Sri Vijay Sagar Sharma be and is hereby appointed the Liquidator and is hereby empowered to exercise the following powers : (i) To institute or defend any suit, prosecution or other legal proceeding, in the name and on behalf of the company; (ii) To carry on the business of the company so far as may be necessary for the beneficial winding up of the company; (iii) To sell the immovable and movable property and actionable claims of the company by public auction or private contract, with power to transfer the whole thereof to any person or body corporate, or to sell the same in parcels; (iv) To raise on the security of the assets of the company any money requisite; (v) To do all such other things as may be necessary for winding up the affairs of the company and distributing its assets. 3. The following persons to be appointed to act as members of the committee of Inspection on behalf of the creditors (a) Mr. B. N. Gupta, (b) Mr. Suresh Tiwari. (c) Mr. Rakesh Singh, (d) Mr. Atul Singhal (e) Miss. Rashmi Srivastava 4. The remuneration of said liquidator Mr. Vijay Sagar Sharma be fixed at a sum of Rs. 5,000.00 per month in addition to cost, charges and expenses.

Member (or creditors) Voluntary winding-up Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516.

Name of company	.. Lambert posts Limited
Nature of business	.. Agro based industries
Address of registered Office	.. Chandra Has Digv ijayganj Sarai, Lko.
Name (s) and adress (es) of Liquidator	.. Vijay Sagar Sharma, Digvijayganj Sarai, Lucknow.
Date of appointment	.. 31-1-99
By whom appointed	.. Creditors meeting dated 31-1-99

Dated—31-1-1999

VIJAI SAGAR SHARMA,
Director.
Chairman of the meeting

NOTICE

1. That the Extra Ordinary General Meeting and Creditors Meeting of M/s. LAMBERT MUTUAL BENE[illegible] LTD. will be held at LAMBERT PROJECT, T[illegible] Dewa Road, Lucknow on 30th March, 1999. The tim[illegible] Extra Ordinary General Meeting and Creditors Meetg[illegible] will be at 12.00 noon and 2.00 p. m. respectively.

The Extra Ordinary General Meeting will transit the following business.

To present Scheme of winding up of the Compa[illegible] and to appoint liquidator and to appoint a committee to manage the scheme for winding up and pass the following resolution, "RESOLVE that the Company decides to wind it up and appoint a liquidator and committee to manage and supervise the winding up proceedings".

2. The Creditors meeting will transact the following business :

I. To approve the scheme of winding up b[illegible] creditors.

II. To approve the resolution of windi[illegible] company as passed by the Extra Ordinary Gen[illegible]

III. To appoint a liuquidator u/s 502 [illegible] anies Act, 1956.

IV. To appoint a Committee of the mem[illegible]spection of winding up proceedings of the comp[illegible] called as "Committee of Inspection u/s 503 of [illegible]anies Act, 1956.

Dated—17-2-1999

VIJAY SAGAR SH[illegible]
Director,
Lambert Mutual Benefit.

नगर निगम, कानपुर

नगर निगम, कानपुर की सीमाओं में संचालित नर्सिंग होम, परिवहन स्वामियों व अन्य व्यवसाय करने वालों के लिये अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 26, 36, 41 व 43 के अन्तर्गत नर्सिंग होम, परिवहन संचालकों व अन्य व्यवसाइयों को नियन्त्रित रखने के लिए उपविधि तैयार कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 542 के अन्तर्गत नगर निगम, कानपुर सदन के विचारोपरान्त धारा 543 की अपेक्षा अनुसार कार्यवाही के उपरान्त नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 544 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी :

नगर निगम कानपुर की सीमाओं में संचालित नर्सिंग होम, परिवहन स्वामियों व अन्य व्यवसाय करने वालों के लिये नियमावली (उपविधि)

1--यह नियमावली नगर निगम, कानपुर सीमान्तर्गत वाणिज्य नियंत्रण अनुज्ञप्ति नियमावली कहलायेगी ।

2—वह नियमावली मय शुल्क तालिका सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

3--परिभाषायें--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में--

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) से है ।

(ख) 'निगम' का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर से है ।

(ग) 'शुल्क' का तात्पर्य नगर निगम में वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है ।

(घ) प्रशासक / उपप्रशासक / मुख्य नगर अधिकारी / अपर मुख्य नगर अधिकारी/उप नगर अधिकारी का तात्पर्य शासन द्वारा नियुक्त नगर निगम के अधिकारियों से है ।

(ङ) निरीक्षणकर्त्ता का तात्पर्य कर एवं राजस्व अधीक्षक/निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक या अन्य अधिकारी जिसे नगर निगम समय-समय पर अधिकृत करे, से है ।

4--नियमावली में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर निगम, कानपुर सीमान्तर्गत क्षेत्र में व्यापार करते हुए वार्षिक शुल्क के रूप में देय होगा ।

5--अनुज्ञप्ति पत्र की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च अथवा उसके भाग पर होगी ।

(अ) व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञप्ति पत्र नगर निगम, कानपुर कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा । यदि कोई शुल्कदाता अपना व्यापार बन्द करता है तो उसकी लिखित सूचना कार्यालय में देना अनिवार्य होगा ताकि परीक्षण के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क से व्यापारी को मुक्त किया जा सके ।

6--शुल्कदाता को उक्त शुल्क प्रतिवर्ष 31 मार्च तक अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि के उपरान्त निर्धारित शुल्क के 10 प्रतिशत प्रतिमाह का अधिभार (सरचार्ज) भी देय होगा । माह दिसम्बर के पश्चात् निर्धारित शुल्क की वसूली बकाया भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी, जिसका भार शुल्कदाता को वहन करना पड़ेगा ।

7--अनुज्ञप्ति पत्र उप-नगर अधिकारी अथवा निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा ।

8--धर्मार्थ उद्देश्य से चलाये जा रहे नर्सिंग होम, पैथालाजी एवं अस्पताल लाइसेन्स शुल्क की परिधि मुक्त रहेंगे, परन्तु ऐसी संस्थाओं को अपने प्रमाण-पत्र एवं पंजीकरण के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे ।

नर्सिंग होम के संचालन की शर्तें

1--कुशल चिकित्सकों द्वारा ही नर्सिंग होम का संचालन करना अनिवार्य होगा ।

2--इमरजेन्सी में नर्सिंग होम के फर्स्ट-एंड की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी ।

3--नर्सिंग होम को साफ-सुथरा रखना प्रबन्धकों का दायित्व होगा । गन्दगी पाये जाने की दशा में जुर्माना भी किया जा सकता है ।

4--नर्सिंग होम के ही अन्दर डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, जिसमें कूड़ा आदि डालना अनिवार्य होगा । नर्सिंग होम के बाहर कूड़ा आदि पाये जाने की स्थिति में जुर्माना के भागीदार होंगे ।

5--नर्सिंग होम के किसी मरीज की मृत्यु हो जाने की दशा में शव को 2 घंटे से अधिक नर्सिंग होम में नहीं रखा जावेगा और शव को नर्सिंग होम से निकालने पर एम्बुलेंस आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा जिससे नर्सिंग होम के आस-पास की जनता को कोई असुविधा न होने पाये ।

6--नर्सिंग होम में दूरभाष होना अनिवार्य है तथा दूरभाष नम्बर को प्रतिमाह दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा ।

7--नर्सिंग होम में मरीजों की जीवन सुरक्षा सम्बन्धी समस्त उपकरण आपरेशन थियेटर व आक्सीजन आदि की उपलब्धता अनिवार्य होगी ।

8--इसी प्रकार पैथालोजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक व प्राइवेट क्लीनिक के संचालकों को भी पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न होना अनिवार्य होगा व उपरोक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

9--आग बुझाने सम्बन्धी उपकरण रखना अनिवार्य होगा ।

10--नर्सिंग होम, पैथोलोजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक के संचालकों को प्रति वर्ष नगर निगम को नियमानुसार अनुज्ञप्ति शुल्क देना अनिवार्य होगा । अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने की तिथि 1 अप्रैल से 30 मई होगी ।

		रु० वार्षिक
(1)	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	2,000.00
(2)	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	4,000.00
(3)	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00
(4)	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
(5)	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
(6)	पैथोलोजी सेन्टर	1,000.00
(7)	एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
(8)	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00
(9)	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00 से 3,000.00 तक

परिवहन के संचालकों के लिये शर्तें

1--आटो परिवहन चालकों को परिवहन विभाग का ड्राइविंग लाइसेन्स रखना होगा ।

2--आटो वाहनों का परिवहन विभाग से पास होना अनिवार्य होगा ।

3--आटो वाहनों से धुआं निकलने से प्रदूषण फैलाने पर दण्ड के भागी होंगे ।

4--वार्षिक रोड टैक्स, इन्श्योरेंस आदि से सम्बन्धित जमा धनराशि के कागजात अपने पास रखना सदैव अनिवार्य होगा ।

5--आटो रिक्शा 2 सीटर, 4 सीटर एवं 7 सीटर में अतिरिक्त सवारियां होने पर चालान किया जा सकता है ।

6--बस, मिनी बस में जितनी सवारियां पास हों उससे अधिक सवारियां पायें जाने पर चालान किया जा सकता है ।

7--उक्त गाड़ियों का रख-रखाव उचित ढंग से रखना अनिवार्य होगा ।

इसी प्रकार नान-आटो वाहन जैसे तांगा, रिक्शा, ठेला, हाथ ठेला, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्राली और 4 पहियों के वाहन को केन्द्रीय कर विभाग नगर निगम, कानपुर से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून तक लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा । नये वाहनों के संदर्भ में लाइसेन्स शुल्क वार्षिक, छमाही एवं तिमाही के रूप में लिया जायेगा । 30 जून के बाद लाइसेन्स बनवाने पर 1.00 रु० प्रतिदिन अर्थात् रु० 30.00 प्रतिमाह की दर पर विलम्ब शुल्क देना होगा । वाहन चालकों को वाहन के साथ लाइसेन्स रखना अनिवार्य होगा ।

वार्षिक दरें

		रु० वार्षिक
1	आटोरिक्शा 2 सीटर	360.00
2	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	720.00
3	आटो रिक्शा 4 सीटर	500.00
4	मिनी बस	1,500.00
5	बस	2,500.00
6	तांगा	50.00
7	रिक्शा किराये पर	150.00
8	रिक्शा (निजी चालक)	75.00
9	ठेला/ठेलिया	100.00
10	हाथ ठेला (2 पहियों का मानव चालित)	25.00
11	बैल गाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.00
12	ट्राली (3 पहियों का सामान ढोने वाली ट्राली)	150.00
13	अन्य 4 पहियो के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	1,000.00

अन्य व्यवसायियों के सम्बन्ध में शर्तें

1--लान्ड्री-ड्राई क्लीनर्स, फाइनेंस कम्पनी चिट फन्ड, एन्श्योरेंस कम्पनी की शाखा, फाउन्डिंग इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रियल, आइस फैक्ट्री, पंजीकृत बिल्डर्स, देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, बार आदि के व्यवसायियों को अपनी-अपनी दुकान पर जनसामान्य की सुविधा के लिये रेट बोर्ड पर अन्य शर्तें भी अंकित करनी होंगी ।

2--समय-समय पर उक्त के सन्दर्भ में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के नियम व आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

3--उल्लिखित व्यवसायी अपना-अपना व्यवसाय अपनी भू-भवन सीमा के अन्तर्गत ही करेंगे अर्थात नगर निगम की फुटपाथ, नाली, सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण, प्रोजेक्शन करके अवरोध नहीं करेंगे ।

4--उक्त व्यवसाय से सम्बन्धित गन्दगी आदि हटवाने का दायित्व संचालकों का होगा अर्थात व्यवसाय से सम्बन्धित गन्दगी सड़क या फुटपाथ पर नहीं डालेंगे ।

5--इसी प्रकार पशु वध, हड्डी खाल गोदाम, भैंसा मांस की दुकान, बकरा मांस के दुकान के स्वामियों के लिये अनिवार्य होगा कि वह किसी भी दशा में वध किये गये पशु के मांस को न तो खुला ले जावेंगे और न ही लावेंगे । विक्रय करने की दशा में चिक/पर्दा लगाना अनिवार्य होगा ।

6--वध किये जाने वाले प्रत्येक पशु को वध करने से पूर्व पशु चिकित्सक से परीक्षण कराना भी अनिवार्य होगा ।

7--वध होने पर उससे सम्बन्धित गन्दगी, खून, अंतड़ी, पचौनी, खाल आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन करना वर्जित है।

8--विक्रय हेतु वध किये जाने वाले पशुओं का वध, वधशाला में ही कराना अनिवार्य होगा।

9--2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, महावीर जयन्ती व अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर किसी भी पशु का वध करना दण्डनीय अपराध होगा।

10--उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/उत्तर प्रदेश, सरकार/जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11--लाइसेन्स से सम्बन्धित पूर्व शर्तें पूर्व की भांति प्रभावी रहेंगी तथा प्रति वर्ष प्रति पशु प्रतिदिन निम्नानुसार धनराशियां नगर निगम को देना अनिवार्य है। वार्षिक लाइसेन्स शुल्क 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। 30 अप्रैल के बाद रु० 100.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त देना होगा।

		रु०	
1	धुलाई गृह (लाण्ड्री)	500.00	वार्षिक
2	ड्राई क्लीनर	1,000.00 से 2,500.00	वार्षिक
3	फाइनेंस कम्पनी/चिट्फण्ड	6,000.00	वार्षिक
4	इन्श्योरेंस कम्पनी (प्रति शाखा)	12,000.00	वार्षिक
5	फाउन्डिंग, इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रियल	1,200.00	वार्षिक
6	पशु बध (स्लाटर हाउस)	10.00	प्रति पशु प्रतिवर्ष
7	हड्डी, खाल गोदाम	1,000.00	वार्षिक
8	बार/बियर	6,000.00	वार्षिक
9	आइस फैक्टरी	100.00	वार्षिक
10	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	5,000.00	वार्षिक
11	देशी शराब प्रति दुकान	6,000.00	वार्षिक
12	विदेशी शराब प्रति दुकान	12,000.00	वार्षिक
13	भैंसा मांस की दुकान	300.00	वार्षिक
14	बकरा मांस की दुकान	600.00	वार्षिक

दण्ड

नगर निगम अधिनियम की धारा 550 के अधीन शास्ति का प्रयोग करके नगर निगम कानपुर एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इस नियमावली/उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन होने की दशा में रुपया 500.00 तक अर्थदण्ड हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी ने अपराध निरन्तर जारी रखा है रुपया 20.00 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा 26 व 41 के अन्तर्गत होटल व रेस्टोरेन्ट आदि को नियंत्रित रखने के लिए उप विधि तैयार कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर सदन के विचारोपरान्त धारा 543 की अपेक्षानुसार कार्यवाही के उपरान्त नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 544 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधि

1—यह उपविधि भोजनालयों, जलपान गृहों एवं टी स्टालो आदि को विनियमित एवं नियंत्रित उपविधि, 1998 नगर निगम कानपुर कहलायेगी ।

2—यह उपविधि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

3—इन उपविधियों में जब तक विषय अथवा प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो :

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ० प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 से है ।

(ख) 'निगम' का तात्पर्य नगर निगम कानपुर से है ।

(ग) 'सीमा अन्तर्गत' से तात्पर्य नगर निगम कानपुर की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी इसमें सम्मिलित मानी जावेगी ।

(घ) 'मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक/स्वास्थ्य अधिकारी/उप नगर अधिकारी' का तात्पर्य नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक/स्वास्थ्य अधिकारी/उप नगर अधिकारी से है ।

(ङ) 'भोजनालय' का तात्पर्य, भोजनालय, होटल, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट की दुकान, टी स्टाल, सराय, सोडा फाउन्टेन, आईसक्रीम पार्लर, ढाबा, ठण्डे अथवा गर्म पेय तथा अन्य कोई परिसर जहां खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो ।

(च) 'खाद्य पदार्थ' का तात्पर्य मनुष्य के खाने-पीने के समस्त पदार्थों से है, जिसमें भोजन, नाश्ता, चाय, काफी, शीतल अथवा गर्म पेय जल इत्यादि सम्मिलित है ।

(छ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य एक या अनेक ऐसे व्यक्तियों से है जो खाद्य पदार्थ या पेय को सम्भालता हो तथा उस प्रतिष्ठान में नियोजित हो जहां भोजन अथवा पेय बनता अथवा परोसा जाता हो ।

(ज) 'अनुज्ञप्ति ग्रहीता' का तात्पर्य उस व्यक्ति, फर्म निगम अथवा एसोसिएशन से है जिसे अधिष्ठान चलाने की अनुज्ञप्ति प्राप्त हो ।

4—कोई भी व्यक्ति सीमान्तर्गत क्षेत्र में भोजनालय, या जलपान गृह, टी स्टाल, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा आइसक्रीम पार्लर आदि उस समय तक नहीं चलायेगा जब तक कि वह इसके लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ले और इन उपविधियों के प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णरूप से कर ले ।

5—कोई भी अनुज्ञप्ति गृहीता किसी फैक्ट्री, कारखाना, मिल (जहां किसी प्रकार की गैस अथवा धुआं उठता हो) गौशाला, अस्तबल, शौचालय, खुले नाले अथवा सार्वजनिक कूड़ाघर से 25 मीटर की दूरी के अन्दर भोजनालय अथवा जलपान गृह, टी स्टाल आदि स्थापित न करेगा ।

(अ) सड़क की पटरी अथवा नाले के ऊपर किसी प्रकार के भोजनालय को स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण चालू रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी और किसी अतिक्रमित भवन पर कोई भोजनालय स्थापित न करेगा अथवा हो सकेगा ।

6—अनुज्ञप्ति गृहीता को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना आवश्यक होगा ।

(1) भोजनालय, जलपान गृह, टी स्टाल आदि से शौचालय तथा मूत्रालय इतनी अधिक दूरी पर बनाये जायेंगे खाद्य पदार्थ, जलपान गृह, टी स्टालों आदि रसोई घर, जलपान एवं पेय पदार्थ तैयार करने के स्थान अथवा कक्ष तथा ग्राहकों के बैठने के भोजन तथा जल पान करने तथा पेय सेवन करने के स्थान एवं कक्ष तक शौचालय एवं मूत्रालय की दुर्गन्ध न पहुंच सके । शौचालय एवं मूत्रालय की पूर्व स्वीकृत विकास प्राधिकरण नगर निगम, कानपुर की संस्तुति के अनुसार निर्मित किये जायेंगे ।

(2) भोजनालय, जलपान गृह, टी स्टाल, ढाबा आदि के गन्दे पानी की निकासी हेतु नियमानुसार विकास प्राधिकरण कानपुर, नगर निगम कानपुर की संस्तुति के अनुसार भूमिगत नालियां बनाई जावेगी तथा भूमिगत पाइप डाले जायेंगे । शौचालय एवं मूत्रालय के पानी के निकास

हेतु कोई भी नाली अथवा पाइप रसोईघर, जलपानगृह एवं पेय तैयार करने के स्थान एवं कक्ष तथा आवास कक्षों के नीचे से नहीं निकाली जावेगी ।

(3) भोजनालय, जलपान गृह या रसोई घर तथा चाय बनाने आदि की भट्ठी ग्राहकों को बैठने एवं भोजन, जलपान करने तथा चाय आदि पीने के स्थान एवं कक्षों में नहीं बनाई जायेंगी और उसके लिए पृथक् स्थान एवं कक्षों जिसमें वायु एवं प्रकाश का उचित प्रबन्ध हो और भट्ठी एवं रसोई घर का धुआं बाहर खुले में निकल सके ।

(4) भोजनालय एवं जलपान गृह आदि का समस्त फर्श, दीवार तथा छतें पक्की कराई जावेगी तथा भवन में वर्ष में कम से कम दो बार सफेदी कराई जावेगी ।

(5) भोजनालय, होटल, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कहवे की दुकान, टी स्टाल, लन्च जेट, ढाबा अथवा अन्य कोई परिसर, जहां खाद्य पदार्थ के बिकने की व्यवस्था हो, ग्राहकों के बैठने एवं ग्राहकों के भोजन करने, जलपान करने तथा पेय पीने के समस्त स्थान तथा कक्ष साफ सुथरा, हवादार, मक्खी, कीटाणु एवं दुगन्ध रहित होना चाहिये ।

(6) समस्त कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन (कप, प्लेट आदि) एवं समस्त खाना बनाने तथा परोसने के बर्तन, चाहे वह पीतल, स्टील के हों अथवा अन्य किसी धातु के प्रयोग करने से पूर्व हर बार अच्छी तरह मांजे जायेंगे तथा पोटास मिश्रित जल से धोये जायेंगे ।

(7) भोजनालय, जलपान गृह एवं टी स्टाल आदि में कोई भी जानवर नहीं रखा जा सकेगा ।

(8) कोई भी अनुज्ञप्ति गृहीता अथवा कर्मचारी न तो किसी निषेध द्रव्य का प्रयोग करेगा और न अपने भोजनालय में किसी ग्राहक को ही ऐसा करने देंगे । किसी भी प्रकार का मद्यपान तथा दवायें जिसमें एल्कोहल अधिक हो प्रयोग अथवा सेवन नहीं की जायेगी और न किसी ग्राहक को ऐसा करने की अनुमति दी जावेगी । खाने पीने की चीजों में किसी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया जावेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ।

7. कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी से ग्रसित हों भोजनालय में प्रबन्धक अथवा कर्मचारी नहीं रखा जायेगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को भोजनालय में आने जाने एवं ठहरने दिया जावेगा जो किसी छूत की बीमारी से ग्रसित हो । मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक/स्वास्थ्य अधिकारी/उप नगर अधिकारी के निर्देश देने पर प्रत्येक भोजनालय आदि के अनुज्ञप्ति गृहीता को अपने व्यय से अपनी तथा अपने किसी भी कर्मचारी की स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी और यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि वह स्वयं अथवा उसका कोई भी कर्मचारी किसी भी छूत की बीमारी से ग्रसित नहीं है । प्रमाण-पत्र किसी राजकीय अस्पताल के या नगर निगम के डाक्टर का ही मान्य होगा ।

8--मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक एवं उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के निरीक्षण करने पर भोजनालय, होटल, जलपान गृह, टी स्टाल आदि खोल दिया जायेगा और इन उपविधियों के अधीन रखे गये रजिस्टर आदि उनके सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे तथा निरीक्षण में सहयोग दिया जायेगा । निरीक्षण में पायी गयी आपत्तियों का निरीक्षणकर्ता द्वारा दी गयी अवधि में निवारण किया जायेगा और निरीक्षणकर्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का तुरन्त पालन अनुज्ञप्ति गृहीता द्वारा किया जावेगा ।

9--खाद्य पदार्थ बनाने, जलपान तैयार करने, चाय आदि बनाने तथा ग्राहकों को पानी पिलाने के लिये जो पानी इस्तेमाल किया जावेगा वह जल संस्थान सम्भारण पाइप द्वारा प्राप्त किया जायेगा जिसकी स्वीकृति मुख्य नगर अधिकारी/प्रशासक ने दे दी हो । किसी नलकूपों के जल प्रयोग की स्वीकृति तभी दी जा सकेगी जब कि जल का विश्लेषण जल संस्थान या राजकीय प्रयोगशाला में हो गया हो । यह पानी सदैव साफ बर्तनों में अथवा टंकियों में रखा जायेगा ।

10--होटल, भोजनालय, जलपान गृह एवं टी स्टाल आदि में हर समय सफाई रखी जायेगी । कूड़ा करकट एक कूड़ेदान में अलग से एकत्रित किया जायेगा और कूड़ेदान निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर रखा जायेगा ।

शास्ति

इन उपविधियों के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा और ऐसा अपराध प्रमाणित होने पर यू० पी० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन अपराधी पर रुपया 550.00 (पांच सौ पच्चास) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है। अपराध के सिद्ध होने उपरान्त भी अपराध के निरन्तर बने रहने की दशा में ऐसे उल्लंघन के लिए अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 20.00 (बीस रुपये) अर्थदण्ड किया जायेगा।

नगर निगम, कानपुर

नगर निगम सीमा के भीतर पशुपालकों को अनुज्ञप्ति देने तथा उनके अनुक्षरण से सम्बन्धी अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 21 से 26 व 41 के अन्तर्गत पशु पालकों व कांजी हाउस में बन्द होने वाले जानवरों के स्वामियों से लाइसेन्स शुल्क व जुर्माने वसूल करने नियमित रखने के लिए उपविधि तैयार कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 542 के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर सदन के विचारोपरान्त धारा 543 की अपेक्षानुसार कार्यवाही के उपरान्त नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 544 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नगर निगम की सीमा के भीतर पशुपालकों के अनुज्ञप्ति देने तथा उनके अनुरक्षण की उपविधि

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 2, 1959) की धारा (1) (4) के साथ पठित धारा 541 की उपधारा (20) (21) तथा (49) के अधीन बनाई गई।

1—संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रवर्तन—(क) यह उपविधि नगर निगम कानपुर की सीमा के भ पशुओं के लिए अनुज्ञप्ति देने तथा उनके अनुरक्षण की उपविधि कहलायेगी।

(ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण नगर निगम कानपुर की सीमा में होगा।

(ग) यह उपविधि नगर निगम पशु कर नियमावली, 1962 के अधीन निर्दिष्ट सवारी करने गाड़ी खींचने अथवा बोझा ढोने या ले जाने में प्रयुक्त पशु पर लागू न होगी।

(घ) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—प्रसंग में किसी प्रतिकूल बात के न होने पर इन उपविधियों में :

(1) "पशु" का तात्पर्य गाय, भैंस, भैंसा, बछड़ा, बछिया, बैल तथा सांड़ से है।

(2) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन उपविधियों में संलग्न प्रपत्र से है।

(3) 'अभिज्ञान चिन्ह' का तात्पर्य किसी ऐसे अभिज्ञान के लिए दागे जाने वाले ऐसे चिन्ह से है समय-समय पर मुख्य नगर अधिकारी द्वारा चिन्हित किया जाये।

(4) 'निरीक्षक' का तात्पर्य इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ नियुक्त निरीक्षक से है।

(5) 'अनुज्ञप्ति' गृहीता का तात्पर्य—

[क] उस मंशा में यदि अनुज्ञप्ति किसी अवयस्क को स्वीकृति की जाये, उसके संरक्षक तथा

[ख] अन्य दशाओं में उस व्यक्ति से है, जिसे अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाय।

(6) 'अनुज्ञापन पदाधिकारियों' का तात्पर्य नगर निगम की अनुज्ञापन पदाधिकारी से है।

(7) 'नगर निगम' का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर से है।

(8) 'स्थान' का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, हाता, छावक पशुशाला या अन्य किसी ऐसे स्थान जहां पशु रखे जाते है।

कानपुर नगर निगम के कांजी हाउस में बन्द पशुओं के स्वामियों में निम्नानुसार शुल्क व जुर्माने वसूल रने सम्बन्धी उपविधि :

1--संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ--(1) यह उपविधि कानपुर नगर निगम कांजी हाउस में बन्द पशुओं के प्रति देय शुल्कों व जुर्मानों पर नियंत्रण उपविधि, 1977 कहलायेगी ।

(2) यह नगर निगम की सीमा में प्रवृत्त होगी ।

(3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत होगी ।

2--परिभाषायें--(1) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस उपविधि में--

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 से है);

(ख) "नगर निगम" का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है; तथा

(ग) "कांजी हाउस" का तात्पर्य नगर निगम के स्वामियों एवं उसके द्वारा अनुरक्षित कांजी हाउस से है ।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपविधि में प्रयुक्त हैं वही होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं ।

(3) कोई भी पशु कांजी हाउस में प्रविष्ट हो जाने पर उसके स्वामी तथा अभिभावक द्वारा अनुसूची में गयी दरों पर जुर्माना और खुराकी की धनराशि जमा कर देने पर ही कांजी हाउस से मुक्त किया जा गा ।

पशुपालन

	रु०
1--प्रति पशु	10.00
2--कांजी हाउस में बन्द जनवरों पर जुर्माना	350.00
3--प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	10.00
4--प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	25.00

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 550 अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, नगर निगम कानपुर, यह निर्देश देती है कि उपविधि संख्या 3, 4, 6, 7 तथा 2 में से किसी का भी उल्लंघन अर्थदण्ड से दण्डनीय अपराध होगा जो रु० 500.00 तक हो सकता है और लंघन निरन्तर जारी रखने की दशा में ऐसा अर्थदण्ड दिया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें प्रथम लंघन के निमित्त दोष सिद्ध होने से पश्चात उल्लंघन निरन्तर जारी रहे, 20.00 रुपये तक हो सकता है ।

एल० बी० तिवारी,
आई० ए० एस०,
मुख्य नगर अधिकारी ।

० एस० यू० पी०--50 हिन्दी गजट भाग 8--1999 ई० ।

क और प्रकाशक--निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद ।